

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या एस0 ओ0, संख्या-...../रा0,

पटना दिनांक

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम सिरनियों, परगना सराए हमीद, थाना हायाघाट, थाना नं0 207, अंचल-हायाघाट, जिला-दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विलासपुर सुरक्षा तटबंध एवं सोरमारहाट-हायाघाट तटबंध के 15वें कि0मी0 से 16.25 कि0मी0 तक तटबंध चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त गाँव-सिसौनी के भीतर जमीन का दो टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 9.795 एकड़ के बराबर होता है और जिसमें 7.905 एकड़ कृषि योग्य एवं 1.89 एकड़ मकान मय सहन है। ली जाने वाली भूमि का खेसरा नं0 निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा - 6670, 6671, 6674, 6724, 6721, 6722, 6720, 6339, 6340, 6341, 6347, 6348, 6349, 6408, 6409, 6410, 6443, 6443, 6436, 6435, 6440, 6441, 6447, 6450, 6454, 6455, 6442, 6444, 5340, 5341, 5338, 5342, 5343, 5344, 9058, 5414, 5418, 5422, 5425, 5426, 5427, 5428, 5430, 5431, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5503, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5532, 5534, 9174, 5536, 5539, 5540, 5541, 5544, 5559, 5560, 5561, 5562, 5568, 5569, 5573, 5574, 5575, 5576, 4427, 4432, 4433, 4434, 4436, 4442, 6673, 4429, 6446
पूर्ण खेसरा - $\frac{4346}{9300}$, 5415, 5416, 5417, 5423, 5424, 5429, 9105, 5504, 5507, 5535, 5542, 5543, 5545, 4437, 4443, 4445, 4446, 4448, 4449, $\frac{5418}{9160}$

चौहद्दी :-

उ0 - खे0नं0-6460 रास्ता

द0 - बाँध खे0नं0-6338

पू0 - खे0नं0-6182, 6337, 6405 वगैरह

प0 - खे0नं0-6339, 6341, 6349 वगैरह

उ0 - रेलवे लाईन खे0नं0-6868, 6424, 4426 वगैरह

द0 - खे0नं0-5656 बाँध

पू0 - वस्ती '2' एवं 5560, 6440, 5574 वगैरह

प0 - नदी कमला एवं 5560, 5511 वगैरह

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 की धारा 4 (चार) के उपबंधों के अधीन जैसा कि (बिहार अधिनियम, 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इन से संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगाके कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपलाक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के पदाधिकारियों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियमों की (धारा)-4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।


और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

अमीन, 29/12/12
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा।
अपर समाहर्ता, दरभंगा।
समाहर्ता, दरभंगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से
सचिव, बिहार सरकार।

-2856/र०

ज्ञाप सं० - 15/डी०एल०ए० दरभंगा (सोरमारहाट-हायाघाट)-58/2013 - २ - पटना, दिनांक-10-12-13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, दरभंगा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव
